भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 962

28 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष के संवर्धन और प्रचार-प्रसार के लिए वित्तीय सहायता

962. डा. धर्मशीला गुप्ता:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में आयुष पद्धतियों के संवर्धन और प्रचार-प्रसार, जन जागरूकता, प्रशिक्षण, अनुसंधान और आयुष सेवाओं के विस्तार हेतु कोई विशेष निधि आवंटित की है, यदि हां, तो योजना - वार और वर्ष-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार निजी संस्थानों और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को आयुष पद्धतियों के संवर्धन और जन जागरूकता संबंधी कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति देती है, यदि हां, तो इस हेतु निर्धारित पात्रता मानदंड, चयन प्रक्रिया और दिशा-निर्देश क्या हैं?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): जी हां, आयुष मंत्रालय अपने सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) घटक के अंतर्गत, आयुष पद्धतियों के संवर्धन और प्रचार-प्रसार के लिए निधियां आबंटित करता है। तथापि, देश में प्रशिक्षण, अनुसंधान अथवा आयुष सेवाओं के विस्तार के लिए आईईसी घटक के अंतर्गत अलग से कोई धनराशि आबंटित नहीं की जाती है और इन कार्यकलापों को मंत्रालय की अन्य समर्पित योजनाओं और कार्यक्रमों जैसे आयुर्ज्ञान, आयुर्स्वास्थ्य, एओजीयूएसवाई और राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है। ये योजनाएं जन जागरूकता, प्रशिक्षण, अनुसंधान को बढ़ावा देती हैं और देश भर में आयुष सेवाओं का विस्तार करती हैं। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आयुष मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के तहत आवंटित धनराशि का विवरण **संलग्नक** पर दिया गया है।

(ख): जी हां, सरकार निजी संस्थाओं और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को आयुष मंत्रालय की सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) योजना के अंतर्गत आयुष पद्धतियों के संवर्धन और प्रचार-प्रसार तथा जन जागरूकता के कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति देती है।

आईईसी योजना के तहत, योजना के प्रावधानों के अध्यधीन, सेमिनार, कार्यशालाओं, सम्मेलनों, प्रदर्शनियों, स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रमों और अन्य आईईसी गतिविधियों के आयोजन के लिए पात्र निजी संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों, पेशेवर निकायों, विश्वविद्यालयों और अन्य संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

पात्रता मानदंड, चयन प्रक्रिया, स्वीकार्य गतिविधियां, वित्तीय सहायता और अन्य नियम और शर्तें आईईसी योजना के दिशानिर्देशों में निर्धारित की गई हैं, जो आयुष मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

पात्र संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों की योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार जांच की जाती है और उनकी पात्रता, योग्यता और निधियों की उपलब्धता के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन के लिए विचार किया जाता है।

संलग्नक

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान, आयुष मंत्रालय के तहत विभिन्न योजनाओं के तहत आवंटित धनराशि का विवरण नीचे दिया गया है:-

(करोड़ में)

क्र.सं.	**वर्ष**	**आवंटित धनराशि**	
आईईसी योजना			
1.	2023-24	39.85	
2.	2024-25	33.12	
3.	2025-26	86.48	
4.	2026-27	45.00	
राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) (राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी जीआईए)			
5.	2023-24	867.33	
6.	2024-25	1136.54	
7.	2025-26	736.16	
8.	2026-27	133.57 (as on 23.07.2026)	
एओजीयूएसवाई		**घटक-I**	**घटक-II**
9.	2023-24	3.75	2.0
10.	2024-25	6.74	2.0
11.	2025-26	6.98	2.5
12.	2026-27	2.47 (सितंबर 2026 तक)	-
आयुर्स्वास्थ्य			
13.	2023-24	20.85	
14.	2024-25	29.00	
15.	2025-26	46.73	
16.	2026-27	62.60	
आयुर्ज्ञान			
17.	2023-24	14.66	
18.	2024-25	26.50	
19.	2025-26	37.81	
20.	2026-27	50.00	